

प्रेषक,

शैली राय,
अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय,
कक्ष संख्या-2, गोण्डा।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश,
गोण्डा।

विषय:-

कारा के नियमों के अधीन एक बच्चा गोद लिये जाने की
अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ससम्मान निवेदन करना है कि, मैं अविवाहित
हूँ, वर्तमान समय में मेरे माता पिता का निधन हो चुका है। मैं अब अकेली रहती
हूँ, जिससे मैं एक अनाथ बच्चा कारा के नियमों के अधीन गोद लेना चाहती हूँ।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि, मेरे आवेदन पत्र
को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अनाथालय से बच्चा गोद लेने की
अनुमति माननीय न्यायालय से स्वीकृत कराये जाने की कृपा करें, जिससे कि मैं
कारा के नियमों के अर्न्तगत बच्चा गोद ले सकूँ। श्रीमान जी की अति कृपा
होगी।

सादर।

भवदीय,

(शैली राय)

अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय
कक्ष संख्या-2, गोण्डा।

दि: 27.11.2019

No. 3042/I-06/2010 Date 27-11-2019

FORWARDED

28/11/19
1/4 District Judge, Gonda